


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नरपत सिंह जोधा, प्लॉट नं. 6, गुलाबनगर, अ, आरटीओ ऑफिस के पास जोधपुर, पिन-342006 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 02/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/4 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>04/3/22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 14.10.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./388/2021/325 दिनांक 25.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नेशनल हाईवे 458 शाखा कलेक्ट्रेट, पाली से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(1) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक 1658 दिनांक 26.10.2021 के निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र नेशनल हाईवे 458 शाखा कलेक्ट्रेट, पाली से संबंधित होने से निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नहीं इस आशय का अन्तिम प्रत्युत्तर न्यायालय को आदिनांक अप्राप्त है। अतः लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को आवेदन पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण करना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। निर्णय आज दिनांक 04/3/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। <p style="text-align: center;">  (जमिंत मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	